

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/III - 204/572

दिनांक: 28/09/2012

सेवा में,

मै० आई०आई०टी०एल० निम्बस, दी हाइड पार्क, नोएडा
313-315, विकासदीप विल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 92

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2012 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की भूखण्ड संख्या जीएच - 03, सैक्टर - 78, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मोंगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरोद्ध नहीं होगा चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।

15. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्तर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 60,348.530 वर्ग मी०
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% 24,139.412 वर्ग मी०
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 1,65,958.450 वर्ग मी०

आवंटी संस्था द्वारा विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी०)
भूतल/सिमेंट	24,139.412	9241.40	10185.996
प्रथम तल		8514.27	9348.018
द्वितीय तल		8314.27	9398.098
तृतीय तल		8314.27	9398.098
चतुर्थ तल		8314.27	9398.098
पंचम तल		8314.27	9398.098
छटवां तल		8314.27	9398.098
सातवां तल		8314.27	9398.098
आठवां तल		8314.27	9398.098
नौवां तल		8314.27	9398.098
दसवां तल		8314.27	9398.098
ग्यारहवां तल		8314.27	8156.208
बारवां तल		8314.27	6703.891
तेरहवां तल		8314.27	6674.158
चौदहवां तल		8314.27	6674.158
पन्द्रहवां तल		8314.27	6674.158
सोलहवां तल		7121.31	6674.158
सत्रहवां तल		7121.31	6674.158
अट्ठारवां तल		7121.31	6674.158
उन्नीसवां तल		7121.31	6674.158
बीसवां तल		1098.49	3832.115
इक्कीसवां तल		1098.49	3832.115
बाइसवां तल		1098.49	1426.175
कुल क्षेत्रफल		1,65,936.16	1,65,786.313
तहखाना	सेटबैक छोड़ने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	46,820.43	52145.603
अपर तहखाना			15,204.989
लोअर तहखाना			67350.592

8

सेवा क्षेत्रफल	24,893.768	7887.37	17,553.117
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना सहित)	$= 1,65,936.16 + 46,820.43 + 7887.37$ $= 2,20,643.96$ वर्ग मी०		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना सहित)	$= 1,65,786.313 + 67350.592 + 17,553.117$ $= 2,50,690.022$ वर्ग मी०		

कुल पुनरीक्षित भू-आच्छादित क्षेत्रफल
पुनरीक्षित एफ०ए०आर०

= 11,024.511 वर्ग मी०
= 1,65,786.313 वर्ग मी०

Map for proposed Building is per Bye
Laws. Submitted for approval please.

Pt. Asst.

Asstt. Archt.

Architect

नाम.....

पद.....

वी. श्री एडम पुजारी
मुख्य वास्तुविद नियोजक

प्रतिलिपि:

- उप महाप्रबन्धक (ग्रुप हा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।